

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग,

मेरठ/बुलन्दशहर/अलीगढ़/आगरा/एटा/बदायूं/मुरादाबाद/शाहजहांपुर/पीलीभीत/रामपुर/फर्रुखाबाद/इटावा/कानपुरनगर/फतेहपुर/प्रयागराज/झांसी/जालौन/वाराणसी/जौनपुर/गाजीपुर/बलिया/गोरखपुर/आजमगढ़/देवरिया/गोण्डा/बहराइच/प्रतापगढ़/बाराबंकी/ललितपुर/गाजियाबाद/कानपुर देहात/फिरोजाबाद/सोनभद्र/महाराजगंज/संतरविदास नगर/कुशीनगर/गौतमबुद्ध नगर/हाथरस/संतकबीर नगर/औरैया/कौशाम्बी/बागपत/कन्नौज/श्रावस्ती/अमरोहा/चित्रकूट/अमेठी/कासगंज/हापुड/शामली।

संख्या:- 1962

/बजट/29(5)/अनु0-83/11/2022-23

दिनांक-14.12.2022

विषय:-

अनुदान सं0-83 के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ड्री कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-119/2022/2501/सैंतीस-2-2022/002-1(46)/03, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ड्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की है, जिसके के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, के पत्र संख्या-934/सात-3/कुक्कुट, दिनांक-13.12.2022 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार उल्लिखित धनराशि संलग्न एलामेन्ट ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (1) ऑवटित की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- (2) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) आवंटित धनराशि का उपयोग निहित प्रयोजनों के लिए हो, इसका पर्यवेक्षण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि मदों में कोई विचलन होता है या निर्धारित प्रयोजनों से इतर धनराशि का व्यय लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराते हुए विचलित धनराशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से करें।
- (4) योजनान्तर्गत सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी दशा में सब्सिडी का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
- (5) ऑवटित की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।
- (6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स)-2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (7) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

- (9) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
- (10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (11) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाये।
- (12) ऑवटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (13) ऑवटित की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) ऑवटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (15) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ड्री कार्यक्रम के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।
- (16) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर में क्रम सं0-11 (अनु0-83) पर अंकित कर ली गयी है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।

संख्या:- 1962 /बजट/29(5)/अनु0-83/11/2022-23तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/बुलन्दशहर/अलीगढ़/आगरा/एटा/बदायूं/मुरादाबाद/शाहजहांपुर/पीलीभीत/ रामपुर/फर्रुखाबाद/इटावा/कानपुरनगर/फतेहपुर/प्रयागराज/झांसी/ जालौन/वाराणसी/जौनपुर/गाजीपुर/बलिया/गोरखपुर/ आजमगढ़/ देवरिया/ गोण्डा/ बहराइच/ प्रतापगढ़/बाराबंकी/ललितपुर/ गाजियाबाद/ कानपुर देहात/ फिरोजाबाद/ सोनभद्र/ महाराजगंज/ संतरविदास नगर/ कुशीनगर/गौतमबुद्ध नगर/हाथरस/ संतकबीर नगर/ औरैया/ कौशाम्बी/ बागपत/कन्नौज/श्रावस्ती/अमरोहा/ चित्रकूट/अमेठी/कासगंज/हापुड/शामली।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/लेखानुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- निदेशक,प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।
- 5- योजनाधिकारी अपर निदेशक (कु0), मु0 को उनके पत्र सं0-934/सात-3/कुक्कुट, दिनांक-13.12.2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि योजना से संबंधित कार्ययोजना/गाईडलाइन्स समस्त संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराये तथा योजना में व्यय की सघन समीक्षा कर ऑवटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करायें।
- 6- समस्त संबंधित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 7- संयुक्त निदेशक (नियोजन),मुख्यालय ।
- 8- कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।
- 9- व्यय सहायक, बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-14/12/2022

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1962
002-29-5-ANU-83-11-2022-23
83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
2403 - पशु पालन(आयोजनेतर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06 - अनुसूचित जातियों के लिए डेकयार्ड पोल्टी कार्यक्रम


(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		43-सामग्री एवं सम्पत्ति	योग
1	मेरठ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
2	बुलन्दशहर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
3	अलीगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
4	आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
5	एटा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
6	बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
7	मुरादाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
8	शाहजहाँपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
9	पीलीभीत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
10	रामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
11	फर्रुखाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
12	इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
13	कानपुर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
14	फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
15	प्रयागराज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
16	झाँसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
17	जालौन-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
18	वाराणसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
19	जौनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
20	गाज़ीपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
21	बलिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
22	गोरखपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
23	आज़मगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
24	देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
25	गोण्डा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		43-सामग्री एवं सम्पत्ति	योग
26	बहराइच-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
27	प्रतापगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
28	बाराबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
29	ललितपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
30	गाजियाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
31	कानपुर देहात-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
32	फिरोजाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
33	सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
34	महाराजगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
35	संत रविदास नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
36	कुशीनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
37	गौतमबुद्ध नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
38	हाथरस-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
39	संत कबीर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
40	औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
41	कौशांबी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
42	बागपत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
43	कन्नौज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
44	श्रावस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
45	अमरोहा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
46	चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
47	कांसगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
48	अमेठी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
49	हापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
50	शामली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	600000 600000	600000 600000
	योग	वर्तमान प्रणामी	30000000 30000000	30000000 30000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया तीन करोड़
रूपया तीन करोड़


(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक